न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 54/2025(GCMS : 2025/69)**

ईक्विटास स्मॉल फाईनन्स बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज–II स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769 माउण्ट रोड़ अन्ना सलाई, चोन्नई–60002, तमिलनाडू तथा शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, डीसीएम, जयपुर–302019 राजस्थान

बनाम

1. **ताराचन्द** पुत्र श्री मामराज, उम्र 38 वर्ष जाति बावरी पता 210 वार्ड संख्या 4, 41 एलएलडब्ल्यू, नरसिंपपुरा, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर–335025 राजस्थान मोबाईल नम्बर 8955420053
2. **सुनिता** पत्नी श्री तारामचन्द उम्र 42 वर्ष जाति बावरी पता 210 वार्ड संख्या 4, 41 एलएलडब्ल्यू, नरसिंपपुरा, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर–335025 राजस्थान मोबाईल नम्बर 8955420053

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.02.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद मिढ़ा एवं माया वर्मा उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक की ओर से प्रकरण को नॉट प्रैस किये जाने का प्रार्थना की। प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. ने अप्रार्थीगण ताराचन्द एवं सुनिता द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ताराचन्द की **अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 13, अहाता संख्या 113–ख, ग्राम बावरी, पंचायत नरसिंहपुरा, पंचायत समिति, पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3375 वर्गफीट है। जिसके पूर्व में कृष्णलाल की सम्पत्ति है, पश्चिम में लेखराम की सम्पत्ति है, उत्तर में रोड व दक्षिण में चन्दू राम की सम्पत्ति है, का** भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 0...2.20.. को प्रस्तुत कर रखा है और प्रार्थी बैंक ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी ... की आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 05.02.2025 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ताराचन्द एवं सुनिता के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में ताराचन्द की **अचल सम्पत्ति सम्पत्ति पट्टा संख्या 13, अहाता संख्या 113–ख, ग्राम बावरी, पंचायत नरसिंहपुरा, पंचायत समिति, पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3375 वर्गफीट है। जिसके पूर्व में कृष्णलाल की सम्पत्ति है, पश्चिम में लेखराम की सम्पत्ति है, उत्तर में रोड व दक्षिण में चन्दू राम की सम्पत्ति है,** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का नोट प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्दअहकाम के हाशिये पर अंकित किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.0[illegible]25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:05 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर